रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 1, 2002/माघ 12, 1923
No. 61] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 1, 2002/MAGHA 12, 1923

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2002

सा. का. नि. 74(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (अपर विधि सलाहकार) भर्ती नियम, 1984, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (उप विधि सलाहकार) भर्ती नियम, 1975 और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (अभियोजन स्टाफ) भर्ती नियम, 1980 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया जाना है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में विधि सलाहकार और अभियोजकों के विभिन्न पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (विधि सलाहकार और अभियोजक) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :

ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—

उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और जहां ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृति :— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन सह ज्येष्ठता अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. अपर विधि सलाहकार	6*(छः) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	14,300-400-18,300 रु.	योग्यता के आधार पर चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं	हां केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक :—(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य। (ii) अधिवक्ता के रूप में बारह वर्ष का व्यावसायिक अनुभव या किसी राज्य न्यायिक सेवा में या किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार के विधि विभाग में बारह वर्ष का अनुभव। **टिप्पण :**—1. अर्हताएं अन्यथा सुझाहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण :**—2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति :**—ऐसे उप विधि सलाहकारों में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 12000—16500 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और

12	
	(ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 8 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।) इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण :** 14300—18300 (पुनरीक्षित) वेतनमान में इस पद के उन्नयन से पूर्व 3700—5000 रु० के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में अपर विधि सलाहकार के पद के ऐसे नियमित धारकों की, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है उन्नयित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्तता आरम्भिक रूप से आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी। यदि उपयुक्त निर्धारित किया जाता है तो उन्हें प्रारम्भिक गठन के समय उस पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा। यदि उन्हें उन्नयित वेतनमान में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं निर्धारित किया जाता है तो वे 12000—16500 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान में बने रहेंगे और उनके मामले का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13		14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए :		सीधी भर्ती और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	—अध्यक्ष	
2. निदेशक या विशेष निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	—सदस्य	
3. अपर सचिव (सतर्कता)/संयुक्त सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या सचिव (कार्मिक) द्वारा मनोनीत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में कोई अन्य संयुक्त सचिव	—सदस्य	
4. विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	—सदस्य	
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए :		
1. अपर सचिव (सतर्कता)/संयुक्त सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या सचिव (कार्मिक) द्वारा मनोनीत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में कोई अन्य संयुक्त सचिव	—अध्यक्ष	
2. अपर निदेशक या विशेष निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	—सदस्य	
3. विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	—सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
2. उप विधि सलाहकार	*20 (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	12,000-375-16,500 रु.	योग्यता के आधार पर चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं	हां केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पणी** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
8				9		10
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य। (ii) अधिवक्ता के रूप में दांडिक मामलों का संचालन करने का दस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। **टिप्पण 1.** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2.** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय** : लोक अभियोजक/सरकारी अधिवक्ता के रूप में अनुभव।				नहीं		सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति :** ऐसे ज्येष्ठ लोक अभियोजकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 10,000—15,200 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 8 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।) इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण :** 12,000—16,500 (पुनरीक्षित) वेतनमान में इस पद के उन्नयन से पूर्व 3,000—5,000 रु. के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में उप विधि सलाहकार के पद के ऐसे नियमित धारकों की, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है नियुक्ति के लिए उपयुक्तता आरम्भिक रूप से आयोग के आरम्भिक गठन के समय आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी। यदि उन्हें उन्नयित वेतनमान में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं निर्धारित किया जाता है तो वे 10,000—15,200 रु. के पुनरीक्षित वेतनमान में बने रहेंगे और उनके मामले का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा।

13		14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए :		सीधी भर्ती और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	—अध्यक्ष	
2. निदेशक या विशेष निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	—सदस्य	
3. अपर सचिव (सतर्कता)/संयुक्त सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या सचिव (कार्मिक) द्वारा मनोनीत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में कोई अन्य संयुक्त सचिव	—सदस्य	
4. विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	—सदस्य	

13

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए :

1. अपर सचिव (सतर्कता)/संयुक्त सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या सचिव (कार्मिक) द्वारा मनोनीत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में कोई अन्य संयुक्त सचिव —अध्यक्ष
2. अपर निदेशक या विशेष निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो —सदस्य
3. विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो —सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
3. ज्येष्ठ लोक अभियोजक	*67 (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	10,000-325-15,200 रु.	चयन-सह-ज्येष्ठता	40 वर्ष से अधिक नहीं	हां केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

8	9	10
आवश्यक :—(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य। (ii) अधिवक्ता के रूप में दांडिक मामलों का संचालन करने का आठ वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। **टिप्पण :**—1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण :**—2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

11	12
1. 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 2. 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 3. 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।	**प्रोन्नति** :—ऐसे ज्येष्ठ लोक अभियोजकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन** : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 8,000—13,500 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 8 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।) इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण** : 10,000—15,200 रु. (पुनरीक्षित) वेतनमान में इस पद के उन्नयन से पूर्व 2200—4000 रु० के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में ज्येष्ठ लोक अभियोजक के पद के ऐसे नियमित धारकों की, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, उन्नयित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्तता आरम्भिक रूप से निर्धारित की जाएगी। यदि उन्हें नियुक्ति के लिए उपयुक्त निर्धारित किया जाता है तो उन पदाधिकारियों को प्रारम्भिक गठन के समय उस पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा। यदि उन्हें उन्नयित वेतनमान में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं निर्धारित किया जाता है तो वे 8,000—13,500 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान में बने रहेंगे और उनके मामले का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा।

13		14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :		सीधी भर्ती और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	—अध्यक्ष	
2. अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	—सदस्य	
3. अपर सचिव (सतर्कता)/संयुक्त सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या सचिव (कार्मिक) द्वारा मनोनीत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में कोई अन्य संयुक्त सचिव	—सदस्य	
4. विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	—सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
4. लोक अभियोजक	*96 (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	8000-275-13,500 रु.	चयन-सह-ज्येष्ठता	35 वर्ष से अधिक नहीं	हां केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

8	9	10
आवश्यक :—(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य। (ii) दांडिक मामलों का संचालन करने का सात वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। **टिप्पण :—1.** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण :—2.** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं	सीधे भर्ती किए गए और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

11	12
1. 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 2. 55 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 3. 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।	**प्रोन्नति :**—ऐसे सहायक लोक अभियोजक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और

344GI/2002-2

12
उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर समदेश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 6500—10,500 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।) इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस निमुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण :** 8000—13,500 रु. (पुनरीक्षित) वेतनमान में इस पद के उन्नयन से पूर्व 2375—3500 रु० के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में लोक अभियोजक के पद के ऐसे नियमित धारकों की, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, उन्नयित पद की नियुक्ति के लिए उपयुक्तता आरम्भिक रूप से आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी। यदि उन्हें नियुक्ति के लिए उपयुक्त निर्धारित किया जाता है तो उन पदाधिकारियों को प्रारम्भिक गठन के समय उस पद पर नियुक्त समझा जाएगा। यदि उन्हें उन्नयित वेतनमान में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं निर्धारित किया जाता है तो वे पदधारी 7450—11,500 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान में बने रहेंगे और उनके मामले का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा।

13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए : 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. निदेशक या विशेष निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो —सदस्य 3. अपर सचिव (सतर्कता)/संयुक्त सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या सचिव (कार्मिक) द्वारा मनोनीत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में कोई अन्य संयुक्त सचिव। —सदस्य 4. विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

13

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए :

1. अपर सचिव (सतर्कता)/संयुक्त सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या सचिव (कार्मिक) द्वारा मनोनीत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में कोई अन्य संयुक्त सचिव। —अध्यक्ष
2. अपर निदेशक या विशेष निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो —सदस्य
3. विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो —सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
4. सहायक लोक अभियोजक	41* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	6500-200-10500 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं	नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पणी :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

8	9	10
आवश्यक :—(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य। (ii) दांडिक मामलों का संचालन करने का तीन वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

344 GI/02

11	12
सीधी भर्ती।	लागू नहीं होता
टिप्पण : किसी पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां नियुक्त प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :—	
(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने 5500-9000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और	
4. (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती के लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।	

13	14
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. अपर सचिव (सतकर्ता)/ संयुक्त सचिव (सतकर्ता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या सचिव (कार्मिक) द्वारा मनोनीत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में कोई अन्य संयुक्त सचिव	—अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और विशेष पुलिस महानिरीक्षक विशेष पुलिस स्थापन (प्रशासन का भारसाधक)	—सदस्य
3. विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	—सदस्य

[फा. सं. 213/9/01-एसीडी-II]

दिनेश चन्द्र गुप्ता, विशेष सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2002

G.S.R. 74(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Bureau of Investigation (Additional Legal Adviser) Recruitment Rules, 1984, the Central Bureau of Investigation (Deputy Legal Adviser) Recruitment Rules, 1975, and the Central Bureau of Investigation (Procecutions Staff) Recruitment Rules, 1980, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of various posts of Legal Advisers and Prosecutors in Central Bureau of Investigation, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Bureau of Investigation (Legal Advisers and Prosecutors) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Scheduled annexed to these rules

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said post, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 and 4 of the said Schedule.

4 **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule

5 **Disqualifications.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person ,

shall be eligible for appointment to the said post

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that where there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation of this rule

6 **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7 **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen the Other Backward Classes, and other Special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum seniority or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
1 Additional Legal Adviser	*6 *(2000) Subject to variation depedent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministrial	Rs 14,300-400-18300	Selection	Not exceeding 50 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	Yes

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
8	9	10	11
Essential : (i) degree in Law of a recognised University or equivalent. (ii) twelve years' practice as an advocate or Twelve years' experience in a State Judicial Service or Legal Department of a State or Central Government. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Age : No Educational Qualification : Yes	One year for direct recruits.	Promotion failing which by deputation; failing both by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	1	14
Promotion : From amongst Deputy Legal Advisers with five years' regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Director or Special Director Central Bureau of Investigation —Member 3. Additional Secretary (Vigilance)/Joint Secretary (Vigilance), Department of Personnel	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation.

12	13	14
they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	and Training or any other Joint Secretary in the Department of Personnel and Training nominated by the Secretary (Personnel) —Member 4. Legal Adviser, Central Bureau of Investigation —Member Group 'A' Department Promotion Committee (for considering confirmation) :	
Deputation : Officers under the Central or State Governments – (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or	1. Additional Secretary (Vigilance)/Joint Secretary (Vigilance), Departmental of Personnel and Training or any other Joint Secretary in the Department of Personnel and Training nominated by the Secretary (Personnel). —Chairman	
(ii) with five years' regular service in posts in the scale of Rs. 12,000-16,500/- or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.	2. Additional Director or Special Director Central Bureau of Investigation —Member 3. Legal Adviser, Central Bureau of Investigation —Member	
(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation).		
Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of applications.)		
Note : The suitability of the regular holders of the post of Additional Legal Adviser in the pre-revised scale of Rs. 3700-5000 prior to upgradation of this post in the scale of Rs. 14300-18300 (revised) and having five years' regular service in the grade shall be initially		

12	13	14
assessed by the Commission for appointment to the upgraded post If assesed suitable they shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution If assessed not suitable for appointment to the upgraded scale of pay, they shall continue to be in the revised scale of Rs. 12000-16500 and their cases shall be reviewed every year.		

1	2	3	4	5	6	7
2 Deputy Legal Adviser	*20 (2000) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Rs.12,000-375-16500	Selection by merit	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Yes

8	9	10	11
Essential : (i) degree in Law of a recognised University or equivalent. (ii) ten years' practice as an advocate in conducting criminal cases **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified	No	One year for direct recruits	Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment

8	9	10	11
Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretiion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable :** Experience as Public Prosecutor or Government Advocate.			

12	13	14
Promotion : From amongst Senior Public Prosecutor with five years' regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation :** Office under the Central or State Government– (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service in posts in the scale of Rs. 10,000-15,200/- or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation).	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Director or Special Director Central Bureau of Investigation —Member 3. Additional Secretary (Vigilance)/Joint Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training or any other Joint Secretary in the Department of Personnel and Training nominated by the Secretary (Personnel) —Member 4. Legal Adviser, Central Bureau of Investigation —Member Group 'A' Department Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Additional Secretary (Vigilance)/Joint Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training or any other Joint Secretary in the Department of Personnel and Training nomited by the Secretary (Personnel). —Chairman 2. Additional Director or Special Director Central Bureau of Investigation —Member 3. Legal Adviser, Central Bureau of Investigation —Member	Consultation with Union Public Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation.

12	13	14
Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of applications.) Note : The suitability of the regular holders of the post of Deputy Legal Adviser in the pre-revised scale of Rs. 3000-5000 prior to upgradation of this post in the scale of Rs. 12000-16500 (revised) and having five years' regular service in the grade shall be initially assessed by the Commission for appointment to the post at the initial constitution. If assessed not suitable for appointment to the upgraded scale of pay, they shall continue to be in the revised scale of Rs. 10000-15200 and their cases shall be reviewed every year.		

1	2	3	4	5	6	7
3. Senior Public Prosecutor.	*67 (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 10,000-325-15200.	Selection-cum-Seniority.	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,	Yes

1	2	3	4	5	6	7
					Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	

8	9	10	11
Essential : (i) degree in Law of a recognised University or equivalent, (ii) eight years' practice as an advocate in conducting criminal cases. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that these sufficient number of candidates from communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	No	One year for direct recruits.	1. 50 percent by promotion failing which by deputation. 2. 25 percent by direct recruitment. 3. 25 percent by deputation or absorption

12	13	14
Promotion : Public Prosecutor with five years' regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered, for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) : (i) Director, Central Bureau of Investigation. —Chairman (ii) Additional Director or Joint Director, Central Bureau of Investigation. —Member (iii) Additional Secretary (Vigilance)/Joint Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training or any other Joint Secretary in the Department of Personnel and Training nominated by the Secretary (Personnel) —Member (iv) Legal Adviser, Central Bureau of Investigation. —Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation or absorption.

12	13	14
already completed such qualifying or eligibility service. Deputation or Absorption : Officers under the Central or State Governments— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service in posts in the scale of Rs. 8,000-13,500/- or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of applications.) Note : The suitability of the regular holders of the post of Senior Public Prosecutor in the pre-revised scale of Rs. 2200-4000 prior to upgradation of this post in the scale of Rs. 10000-15200 (revised) and having five years' regular service in the scale shall be initially assessed for appointment to the upgraded post. If assessed suitable for appointment , the incumbents shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed not suitable for appointment to the upgraded scale of pay, the incumbents shall continue to be in the revised scale of Rs. 8000-13500 and their cases shall be reviewed every year.		

1	2	3	4	5	6	7
4 Public Prosecutor	*96 (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 8000-275-13500	Selection-cum-seniority	Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Yes

8	9	10	11
Essential : (i) degree in Law of a recognised University or equivalent. (ii) seven years' practice at the Bar in conducting criminal cases **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	No	One year for direct recruits and promotees	1. 20 percent by promotion failing which by deputation. 2. 55 percent by direct recruitment. 3. 25 percent by deputation or absorption

12	13	14
Promotion Assistant Public Prosecutor with five years' regular service in the grade Note Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman (ii) Director or Joint Director, Central Bureau of Investigation —Member (iii) Additional Secretary (Vigilance)/Joint Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training or any other Joint Secretary in the Department of Personnel and Training nominated by the Secretary (Personnel) —Member (iv) Legal Adviser, Central Bureau of Investigation —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion
Deputation or Absorption Officers under the Central or State Governments– (a) (i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) with five years' regular service in posts in the scale of Rs 6500-10 500/- or equivalent, and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8 (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation) Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)	Group 'A' Department Promotion Committee (for considering confirmation) (i) Director, Central Bureau of Investigation —Chairman (ii) Additional Secretary (Vigilance)/Joint Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training or any other Joint Secretary in the Department of Personnel and Training nominated by the Secretary (Personnel) —Member (iii) Joint Director, Central Bureau of Investigation —Member (iv) Legal Adviser, Central Bureau of Investigation —Member	
Note : The suitability of the regular holders of the post of Public		

12	13	14
Prosecutor in the pre-revised scale of Rs. 2375—3500 prior to upgradation of this post in the scale of Rs. 8000-13500 (revised) and having three years' regular service in the grade shall be initially assessed by the Commission for appointment to the upgraded post. If assessed suitable for appointment the incumbents shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed not suitable for appointment to the upgraded scale of pay, the imcumbents shall continue to be in the revised scale of pay of Rs. 7450—11500 and their cases shall be reviwed every year.		

1	2	3	4	5	6	7
5. Assistant Public Prosecutor.	*41 (2000) *Subject to variation depedent on workload.	General Central Service. Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 6500-200-10500	Not applicable	Not exceeding 30 years. (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	No

8	9	10	11
Essential : (i) Degree in Law of a recognised University or equivalent. (ii) three years' practice at or the Bar in conducting criminal cases Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the	Not applicable	Two years	Direct Recruitment Note : Vacancies cause by the incumbent being away on deputation or due to long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by the appointing

8	9	10	11
Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			authority on deputation basis from officers of Central Government— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with three years' regular service in posts in the scale of Rs. 5500-9000 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. (The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

12	13	14
Not applicable	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Additional Secretary (Vigilance)/Joint Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training or any other Joint Secretary in the Department of Personnel and Training nominated by the Secretary (Personnel). —Chairman 2. Joint Director, Central Bureau of Investigation and Special Inspector General of Police, Special Police Establishment (Incharge of Administration) —Member 3. Legal Adviser, Central Bureau of Investigation —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary

[File No. 213/9/01-AVD. II]

D. C. GUPTA, Special Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.